

फर्द अहकाम

कमलादेवी vs बनाम गोपाल कौर
प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

111/2014

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

26/4/18 वकील उपपक्ष उपाय
गत आदेश की पापना के दिनांक
26/4/18 को प्रेष हो जब तक पूर्व
आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

26/4/18 वकील उपपक्ष उपाय
गत आदेश की पापना के दिनांक
26/4/18 को प्रेष हो जब तक पूर्व
आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

30/05/18

दत्तावली राजस्व लेख अदालत में
पेश हुई। उपस्थित दफ्तरकारों को
को सुना गया। दत्तावली, दत्तावली पर
उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत
प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
उक्त दत्तावली के खाता सं. 119 में
दर्ज ख. नं. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
123 किता 26 ख. 2.86 हेक्टर
की खातेदारी मुताबिक खतौंगी गमावडी
पृष्ठ सं. 116, 117 जगदीश नारायण, रामनारायण
दि. 3/4 एवं मुरारी लाल पिता इत्यादि दि. 0
74 दर्ज रिपोर्ट रही हैं। यह की कि बाउ
पत्र में अंकित सत्रों खानडांग काटीपा

गोपाल कौर
ममश्री
शिवर
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

फर्द अहकाम

कमलादेवी V/S

बनाम

गोपाल कौर

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर) राज.
केस संख्या 111/8014

प्रार्थना पत्र

क्रम संख्या
दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

30/05/18

के पिता मुरारी लाल के चार पुत्र व
दो पुत्री संगत हैं। बाडीपा ने काउन्सिल
आराजी में अपना जन्म से एक-
अधिकार होने का दावा किया है,
जबकि प्रतिवादीगण ने खानेदारी
का नामान्तरण अपने नाम लुखवा
लिपा, जिसकी दुखली एवं घोषणा का
वाद पेश है। उपलब्ध दस्तावेजों
एवं मुताबिक सगर खानदान आराजी
मुताबिका पदकाराण की पैतृक भूमि है
तथा पदकार एक ही पिता की संगत है।
वाद के तथ्यों एवं प्रकरण के त्मापपूर्ण
निस्तारण के लिए दोनों पक्षों से सबूत
लिपा जाते अपेक्षित एवं न्यायसंगत
है तथा तब तक आराजी मुताबिका
किता 26 रकबा 2.86 हेक्टेयर में
मुरारी लाल दि. 14 में बाडीपा के
एक निर्धारण तक बाडीपा के हिले
के लिए अपेक्षितगण को तर्फे माला मूल
काड जखन्द किया जाता है कि भूमि
के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की पका-
विक्रि बतये रक्के। निर्णय मजदरे -
आफ लुजापा गया।



GM

30/05/18

पीठाधीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)